



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2014/कार्तिक 16, 1936

No. 2265]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2014/KARTIKA 16, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

का.आ. 2838(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में पूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 491(अ), दिनांक 30 जून, 1997 के आंशिक अधिक्रमण में, जहां तक यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के भीतर क्षेत्रों में अवस्थित स्थापनों से संबंधित है, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व हुई बातों अथवा होने से रह गई बातों के सिवाय, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के भीतर अवस्थित स्थापनों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बेंगलूर में कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण की स्थापना करती है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण बेंगलूर में आसीन होगा।

3. दिल्ली में विद्यमान कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों से भिन्न भारत के क्षेत्रों में अवस्थित स्थापनों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

4. इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को और उस तारीख से, दिल्ली में विद्यमान कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण, बंगलूर के उपर्युक्त अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थापनों के संबंध में उक्त अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों को, बंगलूर में उक्त अपीलीय अधिकरण को अंतरित कर देंगे।

[सं. एस-35018/12/2014-एसएस-II]

अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2014

S.O. 2838(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and in partial supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour number S.O. 491(E), dated the 30th June, 1997, insofar as it relates to the establishments situated within the territories of the States of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Goa, and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Puducherry, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the Employees' Provident Funds Appellate Tribunal at Bengaluru, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette to exercise the powers and discharge the functions conferred on it by said Act in respect of establishments situated within the territories of the States of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Goa, and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Puducherry.

2. The Employees' Provident Funds Appellate Tribunal shall sit in Bengaluru.

3. The existing Employees' Provident Funds Appellate Tribunal in Delhi shall exercise the powers and discharge the functions conferred on it by the said Act in respect of establishments situated within the Territories of India other than the States of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Goa, and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Puducherry.

4. On and from the date of publication of this notification, the Presiding Officer of the Employees' Provident Funds Appellate Tribunal in Delhi shall transfer the cases pending before the said Tribunal in respect of establishments falling within the aforesaid jurisdiction of the Employees' Provident Funds Appellate Tribunal, Bengaluru, to the said Appellate Tribunal at Bengaluru.

[No. S-35018/12/2014-SS-II]

ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy.